31-3-18 वकील वादी उप0। R.A पूर्व पेश तलबाना जारी मय संलग्न करें। इश्तहार तामील से दिनांक 11-4-18 को पेश हो।

11-4-18 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 9-5-18 को पेश हो।

रीडर

16-5-18 आज पत्रावली लोक अदालत में ग्राम पंचायत मु० पर पेश हुई। पक्षकारान उप० आये राजीनामा पेश किया बाद बहस के राजीनामा डिक्री किया गया। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। मिसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत 2018

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत 2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पं. मु. जीलोता

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर. ए. एस.
बैंच सदस्य :- श्री कमलेश शर्मा सेवा निवृत
तहसीलदार

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
28	15-2-17	16-5-18

उनवान

1- गंगूमल पुत्र कुन्दनमल जाति खंडी निवासी ग्राम श्यामाका तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- मोहनमल पुत्र कुन्दनमल जाति खंडी निवासी ग्राम श्यामाका तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर :-असल प्रतिवादी

2- भागूमल पुत्र कुन्दनमल जाति खंडी निवासी ग्राम श्यामाका

3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ-बास :-तर. प्रति.

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में ग्राम पं. मु. पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित । अधिकारियान व ग्राम वासियान द्वारा पक्षकारान को समझाया गया। बाद समझाईश पक्षकारान ने राजीनामा लिखित में पेश कर वाद को बरूवे राजीनामा डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

वादी ने वाद पेश किया कि मेरे पिता के नाम कुल 8बीघा 2बिस्वा खातेदारी की आराजी थी। पिता के फौत होने पर विरासत का इन्तकाल संख्या 214 दर्ज हो मंजूर हो गया। परन्तु उक्त इन्तकाल का अमल करते समय वादी के प्रति. नं. 1, 2 के नाम का अमल करदिया वादी के नाम का अमल नहीं किया गया। इसलिए वादी पैतृक आराजी में आयेहिस्सेनुसार वादी को आराजी दिलाई जावे।

पक्षकारान ने राजीनामा में यह तथ्य स्वीकार किया कि आ. ख. नं. 19/0.68 में खातेदार मोहनमल, गंगूमल, भागूमल पुत्रान कुन्दनमल के नाम दर्ज है । उक्त ख. नं. 19 को समस्त भाईयों का हिस्सा मोहनलाल के हक में डिक्री किया जावे तथा ख. नं. 399/0.57 जो मुताबिक जमाबन्दी मोहनमल के नाम दर्ज है। वह वादी गंगूमल के नाम डिक्री किया जावे।

चूँकि पक्षकारान ने राजीनामा कर लिया है इसलिए वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--2--

Scanned by CamScanner

अत: आदेश है कि:-

वाद वादी लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर आ. ज. नं. 399/0.57 वाके ग्राम श्यामाका वादी गंगूमल की कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगा तथा आ. क्र. नं. 19/0.68 वाके ग्राम श्यामाका अकेले प्रति. नं. 1 मोहनमल की कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगा। तदानुसार ही इन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा-डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।

बैंच सदस्य

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत

Scanned by CamScanner

ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
28	15.2.18	16.5.18

उनवान

1. गंगूमल पुत्र कुन्दनमल जाति खत्री निवासी ग्राम श्यामाका तहसील किशगनढबास जिला अलवर।

:– वादीः–

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कुन्दनमल जाति खत्री निवासी ग्राम श्यामाका तहसील किशगनढबास जिला अलवर :–असल प्रतिवादीगणः–
2. भागूमल पुत्र कुन्दनमल जाति खत्री निवासी ग्राम श्यामाका
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास अलवर

:–तरप्रतिवादीः–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट)

पर्चा डिक्री

वाद वादी लोक अदालत की भावना से बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाकर 399/0.057 वाके ग्राम श्यामाका वादी गंगूमल की कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगा तथा आ0ख0न0 19/0.68 वाके ग्राम श्यामाका अकेले प्रति0 नं0 1 मोहनलाल की कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगा। तदानुसार ही इन्हे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.......................
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :–

राजीनामा प्रपत्र

सेवा में,
श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
किशनगढ़ बास

दिनांक 16/05/18

गंगरमल बनाम मोहनमल

प्रकरण संख्या 28/17 अन्तर्गत धारा 88, 89-180

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री गंगरमल का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एव अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

दावा इस प्रकार उभयपक्षकारान में राजीनामा से निस्तारित किया गया कि आ० ख०न० 19 रकबा 0.68 मे खातेदार मोहनमल गंगरमल भागरमल पुत्रान कुन्दनमल के नाम दर्ज है। उक्त ख०न० 19 को समस्त अंदुर्भाग का हिस्सा मोहनलाल के हक मे डिग्री किया जावे तथा ख०न० 399 रकबा 0.57 हे० जो मुताबिक जमाबन्दी मोहनमल के नाम दर्ज है। वह वादी गंगरमल के नाम डिग्री किया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. .... प्रतिवादी पक्ष 1. मोहन

2. .... 2. भागरमल

3. .... — गंगरमल पहचानकर्ता 3. ....

4. .... संगीता सरपंच ग्राम पंचायत जिलीता 4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर शंकर दयाल प.स. किशनगढ़ बास (अलवर) पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(वादी पक्ष) नाम शंकर दयाल पुत्र ... (श्यामाका) जाति - जाटव उम्र 35 (प्रतिवादी पक्ष) नाम किशनलाल पुत्र ... (कि०श्यामाका) उम्र 62

प्रार्थी / वादी .... एव अप्राथी / प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल है।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत 2018

16/05/2018
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत 2018
पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner